प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा मे,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0/मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष/25/2012–13/1196-1 दिनांक: 27.08.2012

विषयः वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष के अन्तर्गत संविदा पर आयुष फार्मासिस्ट के पुनर्अनुबन्ध के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/मेनस्ट्रीमिगं ऑफ आयुष/25/2012–13/797–75 दिनांक 23.07.2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 के लिए 1203 आयुष चिकित्सक पुरूष (1178 आयुर्वेद, यूनानी एवं हाम्योपैथिक चिकित्सक तथा 25 योग विशेषज्ञ), 841 आयुष चिकित्सक (महिला) एवं 1178 आयुर्वेद, यूनानी एवं हाम्योपैथिक चिकित्सक के सापेक्ष 1178 आयुष फार्मासिस्ट को संविदा पर अनुबन्धित किए जाने हेतु भारत सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव प्रेषित किया गया था।

3. भारत सरकार के पत्र संख्या 10(30)/2012/एनआरएचएम–1 दिनांक 16.07.2012 द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष (Co-location of AYUSH Facilities at District Level Hospitals & Block Level CHC/PHC) हेतु वर्ष 2012–13 में 1203 आयुष चिकित्सक पुरूष (1178 आयुर्वेद, यूनानी एवं हाम्योपैथिक चिकित्सक तथा 25 योग विशेषज्ञ) एवं 841 आयुष चिकित्सक (महिला) को संविदा पर अनुबन्धित किए जाने हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ है, परन्तु 1178 आयुष फार्मासिस्ट के अनुमोदन के प्रस्ताव के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011–12 में अनुमोदित 759 आयुष फार्मासिस्ट को ही संविदा पर अनुबन्धित किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। संविदा पर अनुबन्धित किये जाने वाले आयुष फार्मासिस्ट को रू0 9000.00 प्रति माह की दर से मानदेय की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा की गयी है।

4. उपर्युक्त क्रम में वर्ष 2011–12 में संविदा पर कार्यरत् आयुष फार्मासिस्ट के सापेक्ष वर्ष 2012–13 में दिये गये योगदान से संबंधित जनपद स्तर से प्राप्त सूचना, संविदा आयुष फार्मासिस्टों द्वारा दिये गये विकल्पों के आधार पर भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 की स्वीकृत पी0आई0पी0 में विभिन्न जनपदों के लिए अनुमोदित पदों के सापेक्ष जनपदवार संविदा आयुष फार्मासिस्टों की सूची संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

5. पत्र के साथ संलग्न सूची में किसी तरह की त्रुटि अथवा विसंगति दृष्टिगत् होने पर सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी दिनांक 05.09.2012 तक अपनी स्पष्ट अभियुक्ति सहित इसकी सूचना ई–मेल generalmanagernp@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करेगें। सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा इस निर्देश का समायान्तर्गत अनुपालन न किये जाने की स्थिति में वे त्रुटि के संशोधन न किये जाने के लिये उत्तरदाई माने जायेंगे।

6. विभिन्न जनपदों में वर्ष 2011–12 में संविदा पर अनुबन्धित आयुष फार्मासिस्ट को वर्ष 2012–13 में यथा सम्भव उनके वर्ष 2011–12 में पदस्थ जनपद अथवा उनके द्वारा दिये गये तीन विकल्प के जनपदों में समायोजित किया गया है।

6. जनपदों में अनुबन्धित आयुष फार्मासिस्ट को वर्ष 2012–13 हेतु एक आयुष फार्मासिस्ट प्रति जनपद चिकित्सालय पुरूष/संयुक्त चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर अनुबन्धित चिकित्सकों की पद्धति एवं आवश्यकतानुरूप पदस्थ किया जाये।

7. आयुष फार्मासिस्ट को जनपद के अन्दर उपर्युक्तानुसार संविदा पर पदस्थ किये जाने में उनकी शौक्षिक योग्यता, वरिष्ठता, उम्र तथा वर्ष 2011–12 में उनके पदस्थ स्थान को ध्यान में रखा जाये।

8. संविदा आयुष फार्मासिस्ट हेतु उपर्युक्त निर्देशों के अनुरूप कार्य स्थल निर्धारित करते हुए जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुबन्धित किया जायेगा एवं अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।

---2

इसकी सूचना मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रारूप पर ई–मेल generalmanagernp@gmail.com पर दिनांक 07.09.2012 तक प्रेषित की जाये, जिससे उसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की बेवसाइट पर अपलोड किया जा सके –

क0 सं0	अनुबन्धित कर्मी का नाम	स्थायी पता तथा मोबाइल नम्बर/ई–मेल	पद नाम	शैक्षिक योग्यता	शिक्षण संस्थान/ विश्वविद्यालय का नाम, जनपद एवं राज्य सहित	अनुबन्ध का दिनांक	कार्य स्थल	टिप्पणी

9. यदि किसी संविदा आयुष फार्मासिस्ट द्वारा एक जनपद से दूसरे जनपद में पारस्परिक समायोजन का अनुरोध किया जाता है तो उस अनुरोध का परीक्षण कर मुख्य चिकित्सासधिकारी द्वारा इस कार्यालय को आवेदन पत्र पर अपनी स्पष्ट संस्तुति के साथ आवेदन पत्र की स्कैन्ड कॉपी ई–मेल generalmanagernp@gmail.com पर दिनांक 20.09.2012 तक प्रेषित की जाये उसके बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

10. संविदा आयुष फार्मासिस्ट के अनुबन्ध या संविदा पर नियुक्ति अथवा उनके पारस्परिक समायोजन के अनुरोध पत्र को अग्रसारित करने हेतु कोई उत्कोच या अवैध धनराशि का आदान–प्रदान (रिश्वत) पूर्णतः गैर कानूनी एवं दण्डनीय अपराध है अतः इस प्रकार का घृणित कार्य न किया जाये। जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा इस पर निगरानी रखी जाये तथा इस प्रकार का कृत्य संज्ञान में आने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुये इसकी सूचना शासन एवं इस कार्यालय को भी दी जाये।

11. संविदा आयुष फार्मासिस्ट का वार्षिक अनुबन्ध प्रतिवर्ष स्वीकृत होने वाली पी0आई0पी0 एवं संविदा पर अनुबन्धित आयुष फार्मासिस्टों के कार्य मूल्यांकन के आधार पर किया जायेगा।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

27/08/12

(मुकेश कुमार मेश्राम)
मिशन निदेशक

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0/मेनस्ट्रीमिगं ऑफ आयुष/25/2012–13/1196-1-12 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, आयुर्वेद सेवाएं, उ0प्र0।
6. निदेशक, यूनानी सेवाएं, उ0प्र0।
7. निदेशक, होम्योपैथ सेवाएं, उ0प्र0।
8. वित्त नियंत्रक, एस0पी0एम0यू0, एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
10. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0आर0एच0एम0 को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0आर0एच0एम0 की वेबसाइट– www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
11. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

27.08.12

(डॉ0 अनिल कुमार मिश्र)
महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं आयुष